न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/257/2018

उनवान

1. शैतान सिंह पुत्र हरनाथ मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि हरनाथ मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सोराम पुत्र किशन मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. गोकल पुत्र कालू मीणा के कायम मुकाम :–
   2/1 रामेश्वर पुत्र गोकल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
   2/2 कैलाश पुत्र गोकल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 235/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री रणवीर सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1, 2/1
3 श्री श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति श्री हरनाथ पिता रामचन्द्र जी को आवंटन केमेटी के द्वारा जरिये मिसल संख्या 2425/83 के ग्राम सरसिया पटवार हल्का सरसिया की सिवायचक जमीन आराजी खसरा नम्बर 1861 में 5 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी के द्वारा सम्यक तरीके से पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रियाओं की पालना करते हुए आवंटित की। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के बाद सुपुर्दगीनामा बनाया जाकर भूमि सुपुर्द की गई। आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से ही आवंटी वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति हरनाथ का कब्जाकाश्त चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । आवंटित भूमि पूर्व में:— हेमा जी मीणा का खेत, पश्चिम में :— लख्माराम जी मीणा की भूमि, उत्तर में सरकारी भूमि वन विभाग की, दक्षिण में :— सरकारी पडत भूमि। वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति को आवंटित भूमि के मूल नम्बर 1861 थे जिसमें से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। इसी प्रकार ग्राम सरसिया के ही प्रतिवादीगण संख्या 3 सोराम पिता श्री किशन मीणा एवं प्रतिवादी संख्या 4 गोकल पिता कालू मीणा निवासी सरसिया को भी मूल आराजी नम्बर 1861 में से 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया । वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति को आवंटित भूमि का नक्शा दे दिया परन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजस्व नम्शे में तरमीम नहीं किया गया।

2. साल 2012 में वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति का देहावसान हो गया तथा साल 2013 में प्रशासन गांवों के संग अभियान चला जिसमें तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा कैम्प के दौरान ही बिना किसी जांच रिपोर्ट अथवा मौके की स्थिति बाबत मौका रिपोर्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मंगवाये बिना ही एवं बिना किसी प्रकार की कोई पत्रावली बनाये ही प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को आवंटन शुदा भूमि के खसरा नम्बर परिवर्तित करते हुए उनके खसरा नम्बर 1861/2 के अजाय 1861/10 कर दिया गया एवं उक्त आराजी को वादीगण की आराजी की जगह को लेते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जो भूमि आवंटित हुई उसके खसरा नम्बर 1861/2 थे । वादीगण पूर्व में भी एवं वर्तमान में भी जिस जगह भूमि का आवंटन हुआ वहीं पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसकी जानकारी पूरे ग्राम एवं समाज को है, बावजूद इसके राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना किसी जांच किये ही नये खसरा संख्या बनाते हुए राजस्व नक्शे में वादीगण के कब्जेसुदा भूमि को सोराम एवं गोकल के खाते की भूमि मानते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम करदिया जो कि सरासर गलत है।

3. राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आवंटित खसरे नम्बरों में परिवर्तन कर दिया एवं जिस जगह पर वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति को भूमि सुपुर्द की गई एवं उसे वादी संख्या 1 के पिता एवं वादिया संख्या 2 के पति के द्वारा काफी धन एवं श्रम खर्च कर उपयोगी एवं काबिलकाश्त बनाया गया है उस जगह को वादीगण के बजाय राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम आवंटित भूमि होना बता राजस्व नक्शे में तरमीम कर दिया गया । इस संबंध में न तो वादीगण को सुना गया एवं न ही किसी प्रकार की कोई पत्रावली ही कायम की गई। वादीगणद्वारा सूचना के अधिकार के तहत मौका पर्चा एवं पत्रावली की नकल मांगी गई परन्तु वादीगण को नहीं दी गई। जिसकी अपील भी पेश की गई परन्तु उसके बाद भी आज तक कोई नकल नहीं दी गई। राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारियों के द्वारा किये गये गलत तरमीम के कारण आये दिन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा वादीगण को उसको आवंटित सुदा एवं कब्जेसुदा भूमि पर कब्जा करने के आशय से परेशान किया जा रहा है जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के आवंटित सुदा भूमि के खसरा नम्बर 1861/2 के बजाय 1861/10 करते हुए नये खसरा नम्बर 1861/10 डालते हुए गलत तरीके से वादीगण को आवंटित एवं जरिये सुपुर्दगी नामा संभलाई गई भूमि में तरमीम कर दिया जिसे दुरूस्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम सरसिया में मिसल संख्या 2425/83 से आराजी नम्बर 1861 में अपीलाण्ट/वादीगण के पिताव पति को भूमि आवंटन हुई। तब से ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जिसके पडौस पूर्व में हेमा मीणा का खेत, पश्चिम में लखमाराम मीणा,उत्तर में सरकार पडत वन विभाग भूमि एवं दक्षिण में सरकारी पडत भूमि आराजी नम्बर 1861 की शेष भूमि के बाबत नक्शा तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया । जिसे बिना साक्ष्य सबूत लिये ,वादी के वाद को तथ्यात्मक विधि पूर्वक विवेचन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये बिना मनमकसूद तौर से विधि एवं नियमों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद पत्र की नोयत व जवाब प्रतिपक्षी का देखे व समझे बिना विवाद बिन्दु को निस्तारित नहीं कर राजनैतिक प्रभाव में आकर तथ्य व विधि की अनदेखी कर कपोल कल्पित आधारों पर खारिज किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतर समय में वाद के चलते न तो न्यायिक कार्य ही किया है और न ही विधि के अनुसार दावा व जवाब दावा को देखे बिना एवं बिना विवादित बिन्दु बनाये तथा बिना रेकार्ड की जाचं किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रकरण में पटवार व भूमि धारी से कोई मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई। जमाबंदी के अनुरूप नक्शे में तरमीम को ही नहीं देखा गया व वादग्रस्त आराजी वर्णित पडौसो के मध्य स्थित थी जिसे विकसित किया गया एवं कब्जा भी अपीलार्थीगण का ही था इस बाबत प्रतिवादी की ओर से जवाब अथवा साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में गोकल के वारिसान ने भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है, ऐसी स्थिति में साक्ष्य व मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलाधीन निर्णय पक्षकारों के मध्य के विवाद का निर्णय न होकर एक विधिविरूद्ध व वेग आदेश होने से निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट के पिता व पति हरनाथ को वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1861 में से 05 बीघा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1983 में आवंटन हुई जिसकमे खसरा तोगन से '' जमाबंदी राजस्व में आराजी नम्बर 1861/11 रकबा 05 बीघा बनकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर आवंटन कमेटी के आदेश से कब्जा सुपुर्द किया गया परन्तु उक्त आराजी नम्बर 1861/11 को राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं किया गया तथा न ही नक्शे में तरमीम है , परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रेकार्ड का अवलोकन किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण की उपजाऊ भूमि को हडप करने की गरज से पश्चातवर्ती आवंटन की गलत तरमीम बताकर राजस्व रिकार्ड नक्शा को विकृत कर मनमकसूद तौर से दर्शाया दिया गया व पूर्व रेकार्ड को देखे व समझे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को वाद में वर्णित पडौसो के मध्य नक्शे राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाई जाने का आदेश प्रदान किया जावे व प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि वे अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में बेजा दखलंदाजी पैरा नहीं करें तथा हर्जा खर्चा अपीलाण्ट को प्रतिपक्ष से दिलाये जाने का आदेश प्रदान करे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/1 के अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 2 के पति श्री हरनाथ पिता रामचन्द्र जी को आवंटन केमेटी के द्वारा जरिये मिसल संख्या 2425/83 के ग्राम सरसिया पटवार हल्का सरसिया की सिवायचक जमीन आराजी खसरा नम्बर 1861 में 5 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी के द्वारा सम्यक तरीके से पूर्ण विधिसम्मत प्रकियाओं की पालना करते हुए आवंटित की। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के बाद सुपुर्दगीनामा बनाया जाकर भूमि सुपुर्द की गई। आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से ही आवंटी अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति हरनाथ का कब्जाकाश्त चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण/वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । आवंटित भूमि पूर्व में:– हेमा जी मीणा का खेत, पश्चिम में :– लखमाराम जी मीणा की भूमि, उत्तर में सरकारी भूमि वन विभाग की, दक्षिण में :– सरकारी पडत भूमि। अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति को आवंटित भूमि के मूल नम्बर 1861 थे जिसमें से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। इसी प्रकार ग्राम सरसिया के ही अपीलार्थी संख्या 1/प्रतिवादीगण संख्या 3 सोराम पिता श्री किशन मीणा एवं प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 4 गोकल पिता कालू मीणा निवासी सरसिया को भी मूल आराजी नम्बर 1861 में से 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया । अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति को आवंटित भूमि का नक्शा दे दिया परन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजस्व नम्शे में तरमीम नहीं किया गया।

13. अपीलार्थीगण का कथन है कि वे अपीलार्थी संख्या 1 के पिता व अपीलार्थी संख्या 2 के पति हरनाथ को आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से ही काबिज काश्त है एवं उनके द्वारा भूमि को विकसित किया गया है। आवंटित भूमि के पडौस भी उनके द्वारा दर्शाये गये है तथा उन्हें आवंटन के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त कब्जा सुपुर्द किया गया एवं नक्शा भी बनाया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4/1, 4/2, 4/3 का कथन है कि अपीलार्थी उन्हें आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं उनके पडौस भी दर्शाये गये है एवं उन्हें नक्शा भी दिया गया है जिस अनुसार अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को चाहिये कि वे काबिज भूमि की पत्थरगढी करायें जिससे उनका कौनसी भूमि पर कब्जाकाश्त है एवं उनकी भूमि कहॉ पर स्थित है एवं वे कितने रकबे पर काबिज है। इस तथ्य की पुष्टि हो जायेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय मे यह अंकित किया है कि वादीगण को आवंटन हुआ है एवं आवंटित भूमि की सुपुर्दगी जाकर नक्शा बनाया गया उसी को राजस्व नक्शे में तरमीम भी किया गया है।

अपीलाण्ट अनुसार विवाद का बिन्दु यह है कि वादग्रस्त आराजी को वाद में वर्णित पड़ौसों के मध्य नक्शे राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाय। इस क्रम में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में वे खसरा नम्बर 1861/11 क्षैत्रफल 5 बीघा के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1861/11 की स्पष्ट तरमीम चाहे अनुसार नहीं होने से उनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया तथा निर्णय वाद दिनांक 16.06.2018 में अपेक्षित अनुतोष प्राप्त नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

14. हमने वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना किये जाने पर राजस्व नक्शे में अपीलाण्ट को आवंटित भूमि की तरमीम की स्थिति प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया तथा खसरा नम्बर 1861/11 की राजस्व नक्शे बाबत वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार (भू अभिलेख) जहाजपुर ने अपने पत्रांक दिनांक भू0अ/2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 31.7.2019 के साथ ग्राम सरसिया की आराजी नम्बर 1861/11 की वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की । जिसका अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत 2073 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 1861/1 रकबा 5 बीघा की किस्म पडत दर्शायी गई है एवं उक्त भूमि हरनाथ पिता रामचन्द्र मीणा साकिन दे हके नाम बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। साथ ही नक्शा भी संलग्न किया गया है। उक्त संलग्न नक्शा एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा जो कि आवंटन के उपरान्त अपीलार्थी/वादी को जिस भूमि का कब्जा संभलाया गया है वह एकसमान है।

15. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पक्षकारों को सुनकर वादीगण को आवंटन हुआ तक बनाए गए सुपुर्दगी के नक्शे व राजस्व नक्शे में तरमीम होने के आधार पर वादपत्र स्वीकार करना उचित नहीं माना है। हमने भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। सुपुर्दगीनामा दिनांक 23.02.1983 की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिस अनुसार आराजी नम्बर 1861/11 में रकबा 5 बीघा की सुपुर्दगी हरनाथ पुत्र रामचन्द्र मीणा द्वारा प्राप्त किया जाना अंकित है। इसके अतिरिक्त भी अन्य रिकॉर्ड जो प्रस्तुत किया गया है जो प्रमाणित फोटो प्रति की प्रति है। ऐसे में बाद मनन मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्टगण राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1861/11 के खातेदार दर्ज हैं तथा इस आशय से नक्शा ट्रेस में भी खसरा नम्बर 1861/11 की तरमीम होना रिकॉर्ड से प्रकट है।ऐसे में अपीलाण्टगण द्वारा आराजी नम्बर 1861/11 में अन्य स्थान पर कब्जे के आधार पर तरमीम में चाहे गए संशोधन को साबित करने में अपीलार्थीगण असफल रहे हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. हमने वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना किये जाने पर राजस्व नक्शे में अपीलाण्ट को आवंटित भूमि की तरमीम की स्थिति प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

18. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/257/2018

उनवान

1. शैतान सिंह पुत्र हरनाथ मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि हरनाथ मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सोराम पुत्र किशन मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. गोकल पुत्र कालू मीणा के कायम मुकाम :–

2/1 रामेश्वर पुत्र गोकल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर

2/2 कैलाश पुत्र गोकल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाड़ा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 235/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/257/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 27.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रणवीर सिंह प्रत्थर्थी संख्या 1 से 2/1 की ओर से श्री मनीष कांटिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2018 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

19 TA /257/2018 शैतान सिंह बनाम सोराम वगैरह

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

27/8/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)